निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 भाद्र 1943 (श0)

(सं0 पटना 750) पटना, बुधवार, 1 सितम्बर 2021

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

26 अगस्त 2021

सं० प्र०**2**वि०1-49/2020/3572/**खाद्य**–बिहार सरकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 35) की धारा–6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती हैः–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भः–

(1) यह नियम उपभोक्ता संरक्षण (राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद एवं जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद) नियम, 2021 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँः– (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ की अन्यथा अपेक्षित हो,–

(क) 'अधिनियम' से अभिप्रेत है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 35);

(ख) 'राज्य परिषद' से अधिनियम की धारा–6 की उपधारा–1 के अधीन स्थापित राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद अभिप्रेत है;

(ग) 'जिला परिषद' से अधिनियम की धारा–8 की उपधारा–1 के अधीन स्थापित जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद अभिप्रेत है;

(घ) 'अध्यक्ष' से राज्य परिषद एवं जिला परिषद का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ङ) इनमें उपयोग किए गए ऐसे शब्द और वाक्यांश, जिन्हें इनमें परिभाषित नहीं किया गया है परंतु अधिनियम में परिभाषित किया गया है, का अर्थ वही होगा जैसा अधिनियम में परिभाषित किया गया हो।

3. (क) राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद

(i) राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद की संरचना – राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद में अधिकतम 30 सदस्य होंगे। उक्त परिषद की संरचना निम्नवत् होगी :–

A. मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना जो राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद के अध्यक्ष होंगे।

B. (i) प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग।
(ii) प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग।
(iii) प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग विभाग।
(iv) प्रधान सचिव/सचिव, कृषि विभाग।
(v) प्रधान सचिव/सचिव, पंचायती राज विभाग।
(vi) प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग
(vii) प्रधान सचिव/सचिव, वाणिज्यकर विभाग।
(viii) खाद्य संरक्षा आयुक्त, स्वास्थ्य विभाग।
(ix) अध्यक्ष, बिहार राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति।
(x) अध्यक्ष, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन।
(xi) निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय।
(xii) नियंत्रक, माप एवं तौल, कृषि विभाग।
(xiii) निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग।

C. निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बिहार, पटना।

D. राज्य सरकार द्वारा नामित उपभोक्ता संगठनों, उपभोक्ता सक्रिय कार्यकर्ता, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संगठनों, अकादमीशियनों, कृषकों, व्यापार अथवा उद्योग–जगत से लिए उपभोक्ता हितों का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम अनुभूत विशेषज्ञता और अनुभव रखने वाले प्रतिनिधि, जिनकी संख्या चार से अधिक नहीं होगी, जिनमें कम–से–कम एक महिला होगी।

E. दस से अनधिक उतने शासकीय या गैर–शासकीय सदस्य, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित किए जाऐंगे।

F. सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद के सदस्य सचिव होंगे।

3. (ख) जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद

(i) जिला परिषद की संरचना – प्रत्येक जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद में अधिकतम 15 सदस्य होंगे। उक्त परिषद की संरचना निम्नवत् होगी :–

A. जिला पदाधिकारी, जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद के अध्यक्ष होंगे।

B. (i) उप विकास आयुक्त।
(ii) अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग।
(iii) जिला शिक्षा पदाधिकारी।
(iv) जिला असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी।
(v) जिला आपूर्ति पदाधिकारी।
(vi) जिला कल्याण पदाधिकारी।
(vii) जिला कृषि पदाधिकारी।
(viii) जिला पंचायती राज पदाधिकारी।
(ix) महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र।
(x) जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई0सी0डी0एस0)।
(xi)जिला माप एवं तौल पदाधिकारी।
(xii) प्रबंधक, जिला लीड बैंक।

C. राज्य सरकार द्वारा नामित उपभोक्ता संगठनों, उपभोक्ता सक्रिय कार्यकर्ता, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संगठनों, अकादमीशियनों, कृषकों, व्यापार अथवा उद्योग–जगत से लिए उपभोक्ता हितों का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम

अनुभूत विशेषज्ञता और अनुभव रखने वाले प्रतिनिधि, जिनकी संख्या दो से अधिक नहीं होगी, जिनमें कम–से–कम एक महिला होगी।

3. (ग) जब तक इस संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिसूचना में उपभोक्ता संरक्षण परिषद से अभिप्रेत है, राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद/जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद।

4. उपभोक्ता संरक्षण परिषद का कार्यकाल – उपभोक्ता संरक्षण परिषद का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा, परन्तु उपभोक्ता संरक्षण परिषद तीन माह की अतिरिक्त अवधि अथवा इसका पुर्नगठन किए जाने की अवधि तक, जो भी पहले हो, कार्य करती रहेगी।

5. उपभोक्ता संरक्षण परिषद के सदस्यों का त्यागपत्र – कोई भी सदस्य, उपभोक्ता संरक्षण परिषद के अध्यक्ष को सम्बोधित स्व–लिखित सूचना देते हुए, उपभोक्ता संरक्षण परिषद से त्यागपत्र दे सकता है।

6. त्यागपत्र के कारण उत्पन्न हुई रिक्ति –

(1) उपरोक्त कंडिका 3 (क) एवं (ख) के अधीन किसी सदस्य के त्यागपत्र के कारण उत्पन्न हुई रिक्ति को सदस्यों की उसी श्रेणी से नई नियुक्ति के माध्यम से भरा जाएगा।

(2) उपरोक्त कंडिका 3 (क) एवं (ख) के अधीन किसी सदस्य के त्यागपत्र के कारण उत्पन्न हुई रिक्ति भरने के लिए नियुक्त किया गया व्यक्ति केवल उसी अवधि तक पद पर रहेगा, जिस अवधि के लिए, यदि रिक्ति उत्पन्न न हुई होती, मूल सदस्य पद पर रहने का हकदार था।

7. कार्य समूह – (1) अधिनियम के अधीन अपने कार्यो का निष्पादन करने के प्रयोजन से, उपभोक्ता संरक्षण परिषद इसके सदस्यों में से ऐसे कार्य समूह का गठन कर सकती है, जिसे वह आवश्यक समझे और इस प्रकार गठित किया गया प्रत्येक कार्य समूह ऐसे सभी कार्यो का निष्पादन करेगा जो उपभोक्ता संरक्षण परिषद द्वारा इसे सौंपे जाएंगे।

(2) उपभोक्ता संरक्षण परिषद प्रत्येक कार्य समूह को स्पष्ट रूप से परिभाषित ऐसे कार्य सौंपेगी जो विचारार्थ विषयों के माध्यम से विनिर्दिष्ट किए जाएं और जिसमें यह समयावधि भी सम्मिलित होगी, जिसके भीतर ऐसे कार्य पूरे किए जाने है।

(3) कार्य समूह उपभोक्ता संरक्षण परिषद के अध्यक्ष को रिपोर्ट करेंगे।

(4) प्रत्येक कार्य समूह के निष्कर्षो को उपभोक्ता संरक्षण परिषद के विचारार्थ इसके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(5) कार्य समूह उस कार्य के पूरा होने के पश्चात कार्य करना बंद कर देगा, जिसके लिए इसे गठित किया गया था।

8. कार्य संचालन के लिए उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठकें –

(1) राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठकें साधारणतया राजधानी क्षेत्र पटना में एवं जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठक संबंधित जिला मुख्यालय में आयोजित की जाएंगी।

परन्तु उपभोक्ता संरक्षण परिषद, जब अध्यक्ष का यह मत हो, कि ऐसा करना उपयुक्त है, किसी अन्य स्थान पर अपनी बैंठकें आयोजित कर सकती है।

(2) उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठकों की अध्यक्षता परिषद के अध्यक्ष, अथवा उनकी अनुपस्थिति में इस प्रयोजनार्थ चुने गए उपभोक्ता संरक्षण परिषद के किसी सदस्य द्वारा की जाएगी।

(3) उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठक, अध्यक्ष के अनुमोदन से प्रत्येक सदस्य को बैठक की आयोजित तारीख से कम–से–कम पन्द्रह दिन पहले डाक अथवा ई–मेल के माध्यम से त्वरित संप्रेषण को सुकर बनाने के लिए लिखित सूचना देते हुए बुलाई जा सकती है।

(4) उपभोक्ता संरक्षण परिषद की प्रत्येक बैठक की सूचना में बैठक का समय, तारीख और स्थान तथा बैठक के लिए कार्यसूची की मदों की जानकारी दी जाएगी।

(5) उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठक के दौरान कार्यसूची में सम्मिलित न किए गए किसी भी मामले पर अध्यक्ष अथवा बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य, जैसा भी मामला हो, की अनुमति को छोड़कर, चर्चा नही की जाएगी।

(6) उपभोक्ता संरक्षण परिषद की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत का मसौदा यथा संभव शीघ्र और प्रत्येक बैठक के समापन से अधिकतम एक सप्ताह की अवधि के भीतर तैयार किया जाएगा तथा बैठक के कार्यवृत को अध्यक्ष अथवा बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

(7) अध्यक्ष अथवा बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य द्वारा अनुमोदित उपभोक्ता संरक्षण परिषद की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत के मसौदे को अगली बैठक में अंगीकार किए जाने हेतु यथाशीघ्र उपभोक्ता संरक्षण परिषद के प्रत्येक सदस्य को अग्रेषित किया जाएगा।

(8) किसी रिक्ति के होने अथवा उपभोक्ता संरक्षण परिषद के गठन में किसी दोष के होने मात्र से उपभोक्ता संरक्षण परिषद की कोई भी कार्यवाही अवैध नहीं ठहरायी जाएगी।

9. व्यय और बैठक शुल्क की प्रतिपूर्ति –उपभोक्ता संरक्षण परिषद के सदस्य निम्नलिखित के हकदार होंगे :–

(क) सदस्यों का यात्रा भत्ता :– विधान सभा एवं विधान परिषद के सदस्यों एवं सरकारी पदाधिकारियों/कर्मचारियों को उसी दर पर यात्रा भत्ता अनुमान्य होगा, जो उन्हें उनके पदों पर अनुमान्य है तथा वे इसे अपने वेतनादि प्राप्त होने वाले शीर्ष से प्राप्त करेंगे।

(ख) उप–नियम (क) के अधीन किया गया प्रत्येक दावा उपभोक्ता संरक्षण परिषद के सदस्य द्वारा इस प्रमाणन के अध्यधीन होगा कि वे उपभोक्ता संरक्षण परिषद अथवा इसके किसी कार्यसमूह की बैठक में भाग लेने के प्रयोजन से अपने दौरे के दौरान राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग अथवा संगठन से किसी लाभ का दावा नहीं करेंगे।

(ग) स्थानीय सदस्यों के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। अन्य गैर सरकारी सदस्य ऐसे यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता के हकदार होंगे, जो राज्य सरकार के श्रेणी –1 के पदाधिकारियों को अनुमान्य है तथा उनका भुगतान शीर्ष 3456 नागरिक पूर्ति योजना से होगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
विनय कुमार,
सरकार के सचिव।

26th August 2021

No. Sec-2- B-1-49/2020-3572-Food-The Government of Bihar, in exercise of the powers conferred by Section-6 and 8 of the Consumer Protection Act, 2019 (Act No. 35 of 2019), makes the following Rules:

1. **Short title, extent and commencement**:

(1) These rules may be called as Consumer Protection (State Consumer Protection Council and District Consumer Protection Council) Rules, 2021.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

2. **Definitions: -**

(1) In these rules, unless the context otherwise requires,

(a) Act means the Consumer Protection Act, 2019 (Act No. 35 of 2019);

(b) 'State Council means the State Consumer Protection Council established under sub-section-1 of section 6 of the Act:

(c) District Council means the District Consumer Protection Council established under sub-section-1 of section 8;

(d) Chairperson means the Chairperson of the State Council and the District Council;

(e) The words and expression used herein, but not defined, and defined in the Act shall have the meaning assigned to them in the Act.

3. (a) **State Consumer Protection Council**

(i) Composition of State Consumer Protection Council - The State Consumer Protection Council shall have a maximum of 30 members. The composition of the said council shall be as follows:

A. Minister, Department of Food and Consumer Protection, Bihar, Patna who shall be Chairperson of the State Consumer Protection Council.

B. (i) Principal Secretary/Secretary, Finance Department.
(ii) Principal Secretary/Secretary, Health Department.
(iii) Principal Secretary/Secretary, Industries Department.
(iv) Principal Secretary/Secretary, Agriculture Department.
(v) Principal Secretary/Secretary, Panchayati Raj Department.
(vi) Principal Secretary/Secretary, Urban Development and Housing Department.
(vii) Principal Secretary/Secretary, Commercial Taxes Department.
(viii) Food Safety Commissioner, Health Department.
(ix) President, State Level Banker's Committee, Bihar.

(x) President, Bihar Industries Association.
(xi) Director, Directorate of Consumer Protection.
(xii) Controller, Weights & Measure, Agriculture Department, Bihar.
(xiii) Director, Information and Public Relations Department, Bihar.

C. Registrar, State Consumer Disputes Redressal Commission, Bihar, Patna.

D. Not more than 4 representatives with proven expertise and experience who are capable of representing consumer interests, drawn from amongst consumer organizations, consumer activists, research and training organizations, academicians, farmers, trade and industry organizations (of whom at least one shall be woman) to be nominated by the State government.

E. Such number of other official or non-official members, not exceeding ten, as may be nominated by the Central Government.

F. Secretary, Food and Consumer Protection Department, Bihar, Patna shall be the Member Secretary of State Consumer Protection Council.

3. (b) **District Consumer Protection Council**

(i) Composition of District Council - Each District Consumer Protection Council shall have a maximum of 15 members. The composition of the said council will be as follows:

A. District Magistrate who shall be Chairperson of District Consumer Protection Council.

B. (i) Deputy Development Commissioner.
(ii) President, District Consumer Disputes Redressal Commission.
(iii) District Education Officer.
(iv) District Civil Surgeon-cum-Chief Medical Officer.
(v) District Supply Officer.
(vi) District Welfare Officer.
(vii) District Agriculture Officer.
(viii) District Panchayati Raj Officer.
(ix) General Manager, District Industries Center.
(x) District Program Officer (ICDS).
(xi) District Weights & Measure Officer.
(xii) Manager, District Lead Bank.

C. Not more than 2 representatives with proven expertise and experience who are capable of representing consumer interests, drawn from amongst consumer organizations, consumer activists, research and training institutions, academicians, farmers, trade and industry organizations (of whom at least one shall be woman) to be nominated by the State government.

3. (c) Unless otherwise required in this context, the Consumer Protection Council in this notification means the State Consumer Protection Council / District Consumer Protection Council.

4. **Term of Consumer Protection Council**- The term of the Consumer Protection Council shall be of three years, provided the Consumer Protection Council shall continue to function for a further period of three months or till its reconstitution, whichever is earlier.

5. **Resignation of Members of Consumer Protection Council** - Any member may, by notice in writing under his hand addressed to the Chairperson of the Consumer Protection Council, resign from the Consumer Protection Council.

6. **Vacancy arising due to resignation** –

(1) The vacancy arising on account of resignation of a member under clause 3 (a) and (b) above shall be filled through fresh appointment from the same category of members.

(2) The person appointed to fill a vacancy arising on account of resignation of a member under clause 3 (a) and (b) above shall hold the office only for the period of time that the original member would have been entitled to hold office, had the vacancy not occurred.

7. **Working Group** - (1) For the purpose of performing its functions under the Act, the Consumer Protection Council may constitute from amongst its members, such working group as it may deem necessary, and each working group so constituted shall perform such task as are assigned to it by the Consumer Protection Council.

(2) The Consumer Protection Council shall entrust to each Working Group clearly defined tasks which are specified through the terms of reference, and which shall also include the time period within which such task are to be completed.

(3) The Working Group shall report to the Chairperson of the Consumer Protection Council.

(4) The findings of each working group shall be placed before the Consumer Protection Council for its consideration.

(5) The working group shall cease to function after the completion of the task for which it was constituted.

8. **Meeting of Consumer Protection Council for transaction of business** –

(1) The meeting of State Consumer Protection Council shall ordinarily be held in the capital territory of Patna and the meeting of District Consumer Protection Council shall be held at the respective district headquarters.

Provided the Consumer Protection Council may also hold its meeting at any other place in the State or the District as the case may be, wherever in the opinion of the Chairperson, it expedient so to do.

(2) The meetings of the Consumer Protection Council shall be presided over by the Chairperson, or in his absence by a member of the Consumer Protection Council elected for this purpose.

(3) The meeting of the Consumer Protection Council may be called with the approval of the Chairperson by issuing a notice in writing to every member at least fifteen days before the intended date of the meeting by post, or through e-mail to facilitate speedy communication.

(4) The notice of every meeting of the Consumer Protection Council shall intimate the time, date, and place of the meeting and the items of agenda for the meeting.

(5) Any business not included in the agenda shall not be transacted at a meeting of the Consumer Protection Council except with the permission of the Chairperson or the member presiding over the meeting, as the case may be.

(6) The draft of the minutes of each meeting of the Consumer Protection Council shall be prepared as soon as possible and not later than one week from the conclusion of each meeting and the same shall be submitted to the Chairperson or the member presiding over the meeting for his approval.

(7) The draft of the minutes of each meeting of the Consumer Protection Council approved by the Chairperson or the member presiding over the meeting shall be forwarded to each member of the Consumer Protection Council as soon as possible for adoption at the next meeting.

(8) No proceeding of the Consumer Protection Council shall be invalid merely by reasons of existence of any vacancy in or any defect in the constitution of the Consumer Protection Council.

9. **Reimbursement of expenses and sitting fees-** Members of the Consumer Protection Council shall be entitled to the following:

(a) Traveling Allowance of Members: - Members of State Legislative Assembly or Legislative Council attending meeting of Consumer Protection Council and Government officials/employees shall be entitled to Traveling Allowance at the rate which is admissible to them and shall be charged from the salary head.

(b) Every claim made under sub-rule (a) shall be subject to the member of the Consumer Protection Council certifying that he shall not claim any benefit from any other department or organization of the State Government during his visit for the purpose of attending the meeting of the Consumer Protection Council or any of its working groups.

(c) No travel allowance shall be payable to local members. Other non-government members shall be entitled to such travel allowance and daily allowance which is admissible to the Class-I officials of the State Government and will be payable from the 'head' 3456 'Nagrik Purti Yojna'.

By order of Governor of Bihar
Vinay Kumar,
Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 750-571+10-डी0टी0पी0
Website: http://egazette.bih.nic.in